बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या । प्रा0आ0- 26/2009/ 2221 /आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 10/8

अधिसूचना

वर्ष 2009 में राज्य में मॉनसून की वर्षा की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। वर्षा की कमी के फलस्वरूप खरीफ फसल (धान) की रोपनी/बुआई लक्ष्य से काफी कम हो पाई है। जिन क्षेत्रों में रोपनी/बुआई की गयी, वहाँ भी अल्प वर्षापात् के कारण उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। भारत मौसम विभाग एवं कृषि विभाग, बिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में वर्षापात की स्थिति अत्यंत खराब है। 01 जून से 06 अगस्त तक राज्य में 568.5 मि0मी0 औसत वर्षापात के विरूद्ध आलोच्य अवधि में मात्र 331.7 मि0मी0 बारिश ही हो पाई है। वर्षापात में औसतन 42 प्रतिशत की कमी पाई गई है। राज्य में मॉनसून का आगमन भी इस वर्ष दो सप्ताह विलंब से होने के कारण स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है।

अल्प वर्षापात के कारण राज्य के भू एवं सतही जलस्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। राज्य के कई भागों में जलस्रोत सूख रहे हैं एवं जलाशयों तथा भूगर्भ जलस्तर में काफी कमी आयी है। कृषि एवं जल संसाधनों के अतिरिक्त सूखे का कुप्रभाव पशु संसाधन एवं रोजगार पर भी पड़ने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य में सुखाड़ के कारण आपदा की स्थिति बन गई है।

उक्त आलोक में राज्य के 26 प्रभावित जिलों में सुखाड़ (प्राकृतिक आपदा) घोषित किया जाता है, जिनकी समेकित सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

2. अधिसूचित जिलों में सुखाड़ से निपटने हेतु आपदा राहत निधि (CRF) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) से दिये जानेवाले सहायता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3. अधिसूचित जिलों में किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एवं सेस, पटवन शुल्क, विद्युत शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित हो, की वसूली वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए स्थगित रहेगी।

4. प्रभावित जिलों में फसल को बचाने, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था करने, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने, पशु संसाधनों का सही रख-रखाव करने, इत्यादि, के लिए आवश्यकतानुसार साहाय्य कार्य चलाने, आदि, की व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए संबंधित विभाग द्वारा निम्न प्रकार से वर्णित कार्य किये जायेंगे -

(i) <u>कृषि क्षेत्र</u>

क. कृषि विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार फसलों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए कृषि इनपुट के रूप में डीजल, बीचड़ा, बीज आदि पर सब्सिडी की व्यवस्था।

ख. वैकल्पिक फसल व्यवस्था एवं कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित कार्रवाई इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी।

ग. सतही जलस्रोतों के सूख जाने के कारण कृत्रिम माध्यमों से इसकी वैकल्पिक

(ix) स्वास्थ्य

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में डायरिया एवं भीषण गर्मी के प्रकोप से उत्पन्न होनेवाली बीमारियां यथा - दस्त, कॉलरा, अतिसार, मियादी, बुखार, मिजिल्स, डिहाइड्रेशन, डर्मेटाईटिस, हीट स्ट्रोक आदि की रोकथाम हेतु सभी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों उप केन्द्रों एवं अन्य चिकित्सालयों में वांछित दवाओं एवं जीवन रक्षक घोल (आर०आर०एस०) का पर्याप्त भंडारण कराया जाएगा। प्रभावित जिलें में मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों में ओ०आर०एस० एवं पारासिटामोल आदि दवाओं का भंडारण किया जाएगा तथा इसे आशा कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से वितरित कराया जाएगा। प्रत्येक जिला में सुखाड़ की अवधि तक सिविल सर्जन के अधीन एक मॉनेटरिंग सेल का गठन होगा जिसमें पदाधिकारी एवं कर्मचारी 24 घंटे कार्यरत रहेंगे।

(x) महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल

सुखाड़ क्षेत्र में बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को कुपोषण से बचाने हेतु पूर्व में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक केन्द्र पर उपलब्ध मेडिकल किट में ओ०आर०एस० एवं पारासिटामोल दवा भी रखी जाएगी। इस व्यवस्था की नियमित एवं विधिवत रूप से अनुश्रवण किया जाएगा ताकि सुखाड़ की स्थिति में इसका प्रभावकारी एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके।

(xi) अनुश्रवण

क. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सुखाड़ साहाय्य कार्य चलाए जायेंगे। सुखाड़ के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर 24 घंटे क्रियाशील नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। इसके दूरभाष संख्या को आम अवाम की जानकारी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा। नियंत्रण कक्ष में रोस्टर में सिविल पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सेवाओं के पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये जाएंगे। जिला पदाधिकारी के अधीन गठित टॉस्कफोर्स सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति एवं इसके निवारण हेतु किये जा रहे प्रयासों का साप्ताहिक अनुश्रवण करेगी।

ख. मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग में राहत कार्य के अनुश्रवण हेतु गठित नियंत्रण कक्ष निरंतर क्रियाशील रहेगा।

ग. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, कृषि विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाएंगे जो निरंतर क्रियाशील रहेंगे।

घ. राज्य स्तर पर गठित आपातकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) निरंतर क्रियाशील रहेगा तथा सुखाड़ग्रस्त जिलों में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का सतत् अनुश्रवण करेगा।

च. जिलों के प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में चलाये जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए प्रत्येक माह कम से कम दो बार सर्वदलीय बैठक करेंगे।

छ. जिलों के प्रभारी सचिव अपने प्रभार के जिलों में चलाये जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण के कार्य में प्रभारी मंत्री का सहयोग करेंगे।

व्यवस्था आवश्यक है। इसके लिए जल के अन्य स्रोतों को सुदृढ़ करना होगा। इस हेतु जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग आकस्मिकता योजना तैयार कर इसका कार्यान्वयन करेंगे।

घ. पूर्व में सरकार द्वारा खरीफ फसल बचाने के लिए तीन सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति दी गई है। उपरोक्त 26 जिलों में एक और सिंचाई के लिए भी डीजल अनुदान दिया जायेगा। इस प्रकार खरीफ फसल बचाने के लिए 4 (चार) सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जायेगा।

(ii) <u>पेयजल</u>

जलापूर्ति की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्देशन के अनुसार की जाएगी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु पूर्व में लगाये गये चापाकलों/ नलकूपों की मरम्मति की जाएगी। आवश्यकता का आंकलन कर पुराने चापाकलों को और गहरे स्तर तक गाड़े जाने की आवश्यकता होगी। जरूरत के अनुसार नये नलकूप/चापाकल भी लगाये जायेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। शहरी क्षेत्र में पेयजलापूर्ति का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाएगा। पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ व्यवस्था रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकलों को चालू रखने की लिए बन्द चापाकलों की साधारण तथा विशेष मरम्मति की व्यवस्था की जाएगी। सूखाप्रवण जिलों में भूजलस्तर और अधिक प्रभावित होने की संभावना है। उन क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों से पानी भरकर टैंकर एवं ट्रक या ट्रैक्टर पर पी.वी.सी. टैंक बैठाकर 5 से 10 कि.मी. तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इन जिलों में अतिरिक्त सबमर्सिबल पंप रखे जायेंगे ताकि कहीं खराबी आने पर उसे तुरंत बदलकर जलापूर्ति चालू रखा जा सके। टैंकर एवं ट्रैक्टर पर पी.वी.सी. टैंकों को भरने के लिए हाइड्रेंट का निर्माण किया जाएगा। निर्माणाधीन पाइप जलापूर्ति योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

नगर विकास विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर एक सहायता दूरभाष (हेल्पलाइन) की व्यवस्था की जायेगी जहां शहरी एवं ग्रामीण पेय जलापूर्ति की शिकायत दर्ज की जा सकती है।

(iii) <u>खाद्यान्न</u>

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि जिलों में पर्याप्त खाद्यान्न का भंडारण है। अन्नपूर्णा एवं अंत्योदय योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न की उपलब्धता एवं इसके उठाव का गहन अनुश्रवण किया जाएगा। विषम स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था रखी जाएगी। इस हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा।

(iv) <u>मुफ्त साहाय्य</u>

मुफ्त साहाय्य वितरण का निर्णय यथा समय आवश्यकतानुसार संबंधित जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर आपातकालीन प्रबंधन समूह एवं यथानुसार राज्यस्तरीय आपदा राहत कोष समिति द्वारा लिया जाएगा।

(v) पशु संसाधन

सुखाड़ के कारण पशुचारा की तात्कालिक कमी नहीं है, परन्तु कालान्तर में कृषि फसल अवशेष की लगातार कमी के कारण इसके दीर्घकालीन प्रभाव अवश्यंभावी है। अतः विभाग पशुचारा की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। लगातार सुखाड़ की स्थिति में जलाशय सूख रहे हैं, जिसके कारण पशुओं के लिए पेयजल की नितांत कमी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में जिला पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा स्थिति का आकलन कर स्थल का चयन किया जाएगा तथा इन चयनित स्थलों को शिविर के रूप में चिह्नित किया जा सकेगा। इन चिह्नित स्थलों पर विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के सहयोग से जलाशयों में जल की व्यवस्था की जाएगी।

सुखाड़ के कारण पशुओं मे इफिमेरल फीवर, हीट स्ट्रोक, न्यूमोनिया, दस्त जैसी सामान्य पशु रोगों की बहुतायत होती है। इन हेतु पशु चिकित्सालयों में दवा का भंडारण कर लिया जाएगा, जिनमें एंटि बायोटिक्स, एनाजलेसिक, पारासिटामोल, एंटि हिस्टास्टामिनिक, एंटि डायरियल, लीवर टॉनिक, नॉरमल सलाईन, एलेक्ट्रोलाइट इन्यूजन लिक्विड, आदि, का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(vi) रोजगार सृजन

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि कार्य की कमी के कारण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगारोन्मुख कार्यक्रम में गतिशीलता लायी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु नरेगा के अन्तर्गत परियोजनाओं के बैंक ऑफ सैक्शंस तैयार किए जाएंगे जिसमें जल संरक्षण की योजना यथा -- तालाब, आहर एवं पाइन उड़ाही, चेक डैम, डगवेल, वृक्षारोपण इत्यादि की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

NREGS के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य संबंधित विभाग भी सूखे से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध करायेगा।

(vii) लघु जल संसाधन

राज्य में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था है। सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी नलकूप ऊर्जान्वित रहे ताकि इनके माध्यम सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहे। साथ ही सतही एवं भूगर्भ जलस्रोतों जैसे - तालाब, पोखर, आहर को रिचार्ज करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। भूजल रिचार्ज की योजनाएँ भी ली जाएंगी। बिहार भू-जल सिंचाई योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जायेगा एवं सुखाड़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

(viii) विद्युत

पम्प, नहर योजनाएं, राजकीय नलकूपों, सिंचाई योजनाएं एवं अधिकांश निजी नलकूप -- सभी बिजली पर आधारित है। अतः ऊर्जा विभाग/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कृषि एवं अन्य कार्यों हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाएगा। सुखाड़ की स्थिति में प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम निर्धारित 7 घंटों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रो के माध्यम से किया जाएगा।

5. उपर्युक्त के आलोक में संबंधित विभाग विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

CM 10/8
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2221 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 10/8/09

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ समाज कल्याण विभाग/वित्त विभाग/ सहकारिता विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/परिवहन विभाग एवं अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वे सुखाड़ग्रस्त घोषित जिलों में कंडिका 4 में वर्णित अपने विभाग से संबंधित कार्य प्रारम्भ करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

CM 10/8
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2222 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 10/8/09

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, पटना/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/कैमुर/नालन्दा/गया/ जहानाबाद/ औरंगाबाद/ अरवल/ नवादा/ मुंगेर/ शेखपुरा/ लक्खीसराय/ जमुई/ बेगुसराय/ भागलपुर/ बाँका/ सारण/ सीवान/मुजफ्फपुर/ सीतामढ़ी/वैशाली/ मधेपुरा/ किशनगंज एवं कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

CM 10/8
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2223 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 10/8/09

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

CM 10/8
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2224 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 10/8/09

प्रतिलिपि: सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

CM 10/8
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2221 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 10/8/09

प्रतिलिपि: संबंधित जिलों के प्रभारी सचिव/ प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/8
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2221 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 10/8/09

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभी माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

10/8
प्रधान सचिव

अनुलग्नक 'क'

बिहार में सुखाड़ग्रस्त अधिसूचित जिलों की प्रमंडलवार सूची

मगध प्रमंडल-	भागलपुर प्रमंडल-
1. गया	1. भागलपुर
2. जहानाबाद	2. बाँका
3. औरंगाबाद	
4. अरवल	
5. नवादा	सारण प्रमंडल-
	1. सारण
	2. सीवान
पटना प्रमंडल-	
1. पटना	
2. नालन्दा	तिरहुत प्रमंडल-
3. भोजपुर	1. मुजफ्फरपुर
4. बक्सर	2. सीतामढ़ी
5. रोहतास	3. वैशाली
6. कैमूर	
	कोसी प्रमंडल-
मुंगेर प्रमंडल-	1. मधेपुरा
1. मुंगेर	
2. शेखपुरा	
3. लखीसराय	पूर्णियाँ प्रमंडल-
4. जमुई	1. किशनगंज
5. बेगुसराय	2. कटिहार

List of Districts of Bihar declared as Drought affected

Magadh Division 1. Gaya 2. Jahanabad 3. Aurangabad 4. Arbal 5. Nawada **Patna Division** 1. Patna 2. Nalanda 3. Bhojpur 4. Buxer 5. Rohtas 6. Kamur **Munger Division** 1. Munger 2. Sekhpura 3. Lakhisaraya 4. Jamui 5. Begusarai	**Bhagalpur Diviosn** 1. Bhagalpur 2. Banka **Saran Division** 1. Saran 2. Siwan **Tirhut Division** 1. Muzaffarpur 2. Sitamarhi 3. Baisalai **Kosi Division** 1. Madhepura **Purnea Division** 1. Kishanganj 2. Katihar